

NORTH CENTRAL RAILWAY

NCRPS-6276/2024

Headquarters Office
Subedarganj, Prayagraj

No. 797-E/NCR/Policy/2024/Allowances (NDA)

Dated: .02.2024

All PHODs / CHODs, NCR HQ office, Prayagraj,
Divisional Railway Manager AGRA, JHANSI & PRAYAGRAJ,
CWM/JHS WS, CWM/ MLR WS, CWM/ RSK/STLI, CWM/CPOH Prayagraj,
Sr.DPO AGRA, JHANSI & PRAYAGRAJ, Dy.CPO/Const PRYJ, Dy.CPO/WS/JHS,
SPO/MLR, APO /RSK/STLI, CEE/WS/ JHS, Dy.CE/WS/JHS, Dy.CMM/GSD JHANSI,
Dy.CE/ Bridge Line JHANSI AGRA, Prayagraj, Dy.CE/ TMC Line JHANSI DyCE / CSP
Prayagraj, Staff Officer/RPF/NCR/HQ/Prayagraj. Dy.FA&CAO/G/NCR,
Principal- ETC/ Kanpur. Principal- IRTMTC / Prayagraj, Principal- CETA / Kanpur,
Principal- Supervisor Training Centre /Jhansi, Principal- Area Training Centre/Jhansi,
Principal- Transportation Training Centre, Subedarganj / Prayagraj, Principal- Basic Training
Centre, Loco/Jhansi, Principal- BTC/C&W/Jhansi, Principal- BTC, Wagon Workshop/Jhansi,
Principal- C&W training Centre/ Kanpur, Principal- Permanent Way Training Centre/JHS,
Principal- Electric Training Centre/TRD/Jhansi.

Sub: Clarification regarding rates of Night Duty Allowance .

Ref: Railway Board Letter No. E(P&A)II/2023/Misc./2-Part(1) dated 23.02.2024.

Copy of Railway Board's letter E(P&A)II/2023/Misc./2-Part(1) dated 23.02.2024, is annexed herewith for further necessary action.

Policy Letter Circulated under NCRPS/NCRBE is also be available on website www.ncr.indianrailways.gov.in (About us→Department→Personnel→NCR Policy Circulars).

DA: as above

Digitally Signed by
(Jitendra Singh)
APQ/HQ
Date: 27-02-2024 13:42:15
for General Manager/P
Reason: Approved

- C/- Secretary to GM for kind information to General Manager.
- C/- Secretary to AGM for kind information to AGM.
- C/- All Personnel Officer in HQ.
- C/- All Recognized Union and Associations.
- C/- SWC for information in reference to SWC No.

copy

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. E(P&A)II/2023/Misc./2-Part(1)

नई दिल्ली, दिनांक 23.02.2024

महाप्रबंधक (कार्मिक)
उत्तर मध्य रेलवे,
प्रयागराज-211015

विषय:- वेतन आयोग द्वारा जारी रात्री भत्ते के आदेश में विसंगति दूर करने के संबंध में।

संदर्भ:- एनसीआर का पत्र No. 797-E/Policy/Ref/Rly.Bd./PNM/NCRES दिनांक 20.12.2023.

एनसीआर के उपरोक्त पत्र द्वारा संदर्भित मामले पर बोर्ड कार्यालय में विचार किया गया और इस संबंध में यह बताया जाता है कि रेल मंत्रालय, रेल कर्मचारियों के लिए DOPT, जो कि भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है, के द्वारा जारी आदेशों को अपनाता है। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के समय, रात्रि भत्ते की दरें निर्धारित करने का फार्मूला भिन्न था और यह वेतन बैंड/ग्रेड वेतन एवं श्रेणीवार (category-wise) था जबकि 7वें सीपीसी द्वारा अनुशंसित फॉर्मूला (BP+DA)/200) प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए एक समान है जिसमें NDA की गणना 7वें सीपीसी वेतन संरचना में उसके मूल वेतन के अनुसार की जाती है। यह फार्मूला रेलवे कर्मचारियों सहित सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर एक समान लागू होता है।

उपरोक्त के अलावा, यह भी बताया जाता है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जोनल रेलवे/संघों से सन्दर्भ प्राप्त हुए थे, जिसमें वेतन आयोग द्वारा जारी रात्री भत्ते के आदेश में विसंगति दूर करने के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा गया था। सम्बन्धित मामले की जांच डीओपीटी के परामर्श से की गई थी जिसमें उन्होंने 7वीं सीपीसी द्वारा अनुशंसित प्रक्रिया (procedure recommended by 7th CPC) का पालन करने की सलाह दी है। इस सम्बन्ध में, आवश्यक निर्देश बोर्ड के पत्र दिनांक 29.05.2020 (प्रति संलग्न) के द्वारा सभी जोनल रेलवे को जारी किए गए थे।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उत्तर मध्य रेलवे को सलाह दी जाती है कि एनसीआरईएस द्वारा उठाए गए मुद्दे स्वीकृति के लिए व्यवहार्य नहीं जाते हैं।

संलग्नक : उपरोक्त



(गौरव पुरी)

जेडीई (पी एंड ए)

रेलवे बोर्ड

दूरभाष क्रमांक: 011-47845119

ईमेल आईडी: gaurav.rb1@gov.in

कमरा नंबर 6 ए, चौथी मंजिल, रेलवे कार्यालय परिसर, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली - 110002